

4/5/18

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रीफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रीफर किया जाता है पक्षकारान दिनांक 22.5.18... को भाणकलम कैम्प कोर्ट/लोक अदालत समक्ष उपस्थित रहें।

ए.सी.इ.एम.(FT)  
जोधपुर

22/5/18

208 पत्रावली का 17

राम लाल लोक अदालत - कायदा का  
21/5/18 से प्रकाशित की जाये  
मान प्रत्यक्ष से निवादा जाकर, वी.सि.के. तुल्यराम  
पत्रावली सिपा रामा 51/111  
लोक अदालत सिपा रामा 51/111  
केशव मुसा हेराल 51/111 (बरीवाल  
ही)

जिजदीश  
तुल्यराम  
पुत्रा

अध्यक्ष कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अस्ट टेंड)  
जोधपुर